

12-7-18

प्राथमिक अपील/प्राथमिक वें वकील उपस्थित।
वेरोधार स्वरूप उपस्थित। प्राथमिक का
प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाकर अपील
पेशा करने में हुए विलम्ब की अवधि
को कन्डोन किया जाता है। निर्णय
सुनाया गया। फावली फैसल सुनार
होकर नम्बर से क्रम हो व मूल अपील
पुकरण से साथ नलकी हो।

सि. वि. नम्बर
(...)